

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामीर मे जारी हुए

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर
ग्राम पंचायत बिन्जारी में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ
का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार बिन्दुवार पेश हुई है-

1. आवेदक रजाक मोहम्मद पुत्र बादुल्ला खां निवासी चौथ
का बरवाड़ा द्वारा ग्राम बांसड़ा के खातेदारी खसरा
नंबर 598/1.92, 604/974/012 पर आने जाने के
लिये रास्ता चाहा गया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी
उपरोक्त खसरा नंबरान पर आने जाने के लिये
वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
2. यह है कि खसरा नंबर 574 के उत्तरी मेड़ के सहारे 2
मीटर चौड़ा तथा 120 मीटर लम्बा कुल 240 वर्गमीटर
रास्ता खातेदार श्री प्रभू पुत्र खेमा जाति बैरवा की खातेदारी
भूमि से ग्राम बांसड़ा की डीएलसी दर 461251 प्रति है0
की दर से कुल 11071 रूपये का दुगुना 22142/-रूपये
खातेदार को दिया जाना उचित होगा एवं इसी से लगता
हुआ खसरा नंबर 574/972 रकबा 0.07 है0 में से
2X20=40 वर्ग मीटर जिसका डीएलसी दर से 1845 रूपये
का दुगुना 3690/-रूपये का भुगतान खातेदार प्रभू मंगला
पि0 खेमा जाति बैरवा सा0 देह को किया जाना उचित
होगा।

यह है कि खसरा नंबर 573 रकबा 0.50 है0 की दक्षिण
मेड़ पर 2X120=240 वर्ग मीटर रास्ता डीएलसी दर से
कुल राशि 11071 का दुगुना 22142/-रूपये खातेदार
मंगल पुत्र खेमा जाति बैरवा को एवं खसरा नंबर 572
रकबा 0.23 है0 में से 2X20 वर्ग मीटर अर्थात 40 वर्गमीटर
का डीएलसी दर से 1845 रूपये का दुगुना 3690/-रूपये
का भुगतान पुखराज पुत्र कल्याण हि0 1/4, कान्ति पुत्री
कल्याण हि0 1/4, प्रेम पुत्री कल्याण हि0 1/4, अनिता
पुत्री कल्याण हि0 1/4 जाति बैरवा सा0 देह को दिया
जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट
तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन
किया। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट की
अनुसार प्रार्थी की स्वयं के खातेदारी खसरा नंबरान
598/1.92, 604/974/012 पर आने जाने के लिये रास्ता
बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुताबिक राजस्व
रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर पहुंच का कोई वैकल्पिक
रास्ता नहीं है। अतः मैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाना उचित समझता हूं।

अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के
आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है
एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया
जाता है कि वे खसरा नंबर 574 के उत्तरी मेड़ के सहारे
2 मीटर चौड़ा तथा 120 मीटर लम्बा कुल 240 वर्गमीटर,
रास्ता खातेदार श्री प्रभू पुत्र खेमा जाति बैरवा की खातेदारी
भूमि से ग्राम बांसड़ा की डीएलसी दर 461251 प्रति है0
की दर से कुल 11071 रूपये का दुगुना 22142/-रूपये
खातेदार को एवं इसी से लगता हुआ खसरा नंबर
574/972 रकबा 0.07 है0 में से 2X20=40 वर्ग मीटर

शिविर प्रभारी एवं
उपसहस्र अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
---------------	-----------------------------------

जिसका डीएलसी दर से 1845 रुपये का दुगुना 3690/-रुपये का भुगतान खातेदार प्रभू मंगला पि0 खेमा जाति बैरवा सा0 देह को एवं खसरा नंबर 573 रकबा 0.50 है0 की दक्षिणि मेड़ पर 2X120=240 वर्ग मीटर रास्ता डीएलसी दर से कुल राशि 11071 का दुगुना 22142/-रुपये खातेदार मंगला पुत्र खेमा जाति बैरवा को एवं खसरा नंबर 572 रकबा 0.23 है0 में से 2X20 वर्ग मीटर अर्थात 40 वर्गमीटर का डीएलसी दर से 1845 रुपये का दुगुना 3690/-रुपये का भुगतान पुखराज पुत्र कल्याण हि0 1/4, कान्ति पुत्री कल्याण हि0 1/4, प्रेम पुत्री कल्याण हि0 1/4, अनिता पुत्री कल्याण हि0 1/4 जाति बैरवा सा0देह को दिलवाया अथवा उतनी भूमि संबंधित अप्रार्थीगणों को प्रार्थी से दिलवाई जाकर खसरा नंबर 574 के उत्तरी मेड़ के सहारे 2 मीटर चौड़ा तथा 120 मीटर लम्बा कुल 240 वर्गमीटर, खसरा नंबर 574/972 रकबा 0.07 है0 में से 2X20=40 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 573 रकबा 0.50 है0 की दक्षिणि मेड़ पर 2X120=240 वर्ग मीटर एवं खसरा नंबर 572 रकबा 0.23 है0 में से 2X20 वर्ग मीटर अर्थात 40 वर्गमीटर भूमि को 10मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28
 शिविर प्रभारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 त्रौथ का बरवाड़ा

20/10/21

वरील शर्ची ने कार्यना पत्र पर पत्रावली
 कान पेश डीमे वरील शर्ची ने कार्यना
 पत्र पर कशाप का पेश किया है कि
 प्रकल का राजस्व कैम्प विन्यायी के
 दिनांक 21/10/2021 के निर्णय हो चुका है
 लेकिन निर्णय के इतिहास गलती से रकम
 नं० 588 के स्थान पर 598 प्रकलित
 गया है, जहाँ विवादित रकम नं०
 588 है, इस विषये निर्णय के रकम नं० 598 के
 स्थान पर 588 प्रकलित किया जाना निर्णय
 के संशोधित किया जाना आवश्यक है
 इसने पत्रावली का अवलोकन किया।
 शर्ची पत्रावली के विवादित रकम नं० 588
 रकबा 1.92 है0 इतिहास त इतिहासदार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामीर मे जारी हुए

जोष का ठावडा का रिपोर्ट के नी जार्जी
की त्वातेवारी खण्ड नं० 588
1992 अर्जित है निर्णय
में 588 के स्थान पर 598 लिपि लिपि कृती
की वलद ले अर्जित हुआ है, जिसे
शुद्ध लिपि जाना उचित समझता है।

अतः व्यापकित के जार्जी का
जार्जना पत्र कास्वीकार लिपि जाना है एवं
प्रमाण में पारित निर्णय दिनांक 21-10-21
में अर्जित वलद ले अर्जित खण्ड नं० 598
के स्थान पर 588 लिपि जाने के अदेश
दिये जाते हैं संगे अर्जित अदेश कृती
जारी है। पत्रावली काद तन्मनीन कास्वीका
दफ्तर है।

22